भारतीय जीवन बीमा निगम

पॉलिसीधारकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग (डेबिट क्लीयरिंग) अथवा डायरेक्ट डेबिट (माध्यम से प्रीमियम भुगतान हेतु अधिदेश प्रपत्र)

प्रपत्र ए : ईसीएस / अधिदेश प्रपत्र । (डायरेक्ट डेबिट सुविधा के लिए है आईसीआईसीआई और एसबीआई खाता धारकों के लिए है)
(बैंक में प्रस्तुत करना है और कॉपी एलआईसी शाखा कार्यालय को देना)
महत्वपूर्ण : कृपया प्रपत्र भरने से पहेले पृष्ठ 2 दिए निर्देश देखे |

नए आवेदन		बैंक विवरण मे परिवर्तन		रद्द	

ईसीएस के लिए एलआईसी का उपयोगकर्ता कोड(उपयोगिता कोड) है 4009056

1.(ए) पॉलिसीधारक/धारकों नाम _____

(बी) पालिसी का विवरण:

क्रम सं.	नया प्रस्ताव/ पालिसी नं.	बीमित स्वयं & / जीवन साथी / बच्चे का नाम		प्रीमियम राशि या इससे अधिक नहीं
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

दूरभाष. सं. : _____ऑफिस :___ मोबाइल _____

ईमेल आईडी :_____

2. बैंक खाता का विवरण (जहाँ से प्रीमियम भरना है) :

ए) बैंक का नाम _____
बी)बैंक पता _____
_____

सी) खाताधारक/कों का नाम _____

डी) खाता प्रकार (बचत बैंक खाता -10 / चालू खाता-11 या नकद/क्रेडिट - 11) _

ई) खाता संख्या (चेक बुक के अनुसार) | | | | | | | | | | | | | | | |

फ़) बैंक और शाखा का 9 अंक एमआईसीआर कोड संख्या | | | | | | | | | |
(इसकी शुरुआत या अंत "000" से नहीं होना चाहिए)

3(ए) मैं / हम इसके द्वारा बैंक को निर्देश देते है कि वह मेरे/ हमारे उपरोक्त खाता नंबर से राशि डेबिट करे और एलआईसी प्रीमियम का Rs . ___ऊपर बताए अनुसार/LIC द्वारा भेजी गई डिमांड के अनुसार भुगतान करे |

(बी) यदि भविष्य मे मेरा/हमारा बैंक खाता ऐसे शहर स्थानांतरित हो जाता है , जहाँ ईसीएस सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो भुगतान का तरिका बदलना आवश्यक होगा, जिसमें प्रीमियम (ECS(MLY) मोड के मामले में) में बदलाव शामिल होगा |

(सी) मेरा/हमारा प्रस्ताव मुझे लगता है मै/हम सहमत है की यह अधिदेश मेरा/हमारा प्रस्ताव (नए के लिए प्रस्ताव) का अभिन्न भाग होगा |

मैं/हम एतद् द्वारा घोषित करते हैं कि उपरोक्त दी गई जानकारी सही और पूर्ण है। मैं/हम, उपरोक्त पॉलिसी/पॉलिसियों के धारक होने के नाते, भारतीय रिज़र्व बैंक के नेशनल क्लियरिंग सेल की ECS सुविधा के माध्यम से उपरोक्त देय प्रीमियम का भुगतान करने की अपनी सहमति व्यक्त करते हैं और जीवन बीमा निगम (LIC) को मेरे/हमारे बैंक खाते से उक्त प्रीमियम की राशि डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं।यदि किसी भी कारणवश—जैसे कि अधूरी या गलत जानकारी, धन की अनुपलब्धता, खाते का बंद होना आदि—कोई लेनदेन विलंबित होता है या संपन्न नहीं हो पाता है, तो इसके लिए मैं LIC या संबंधित संस्था को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराऊंगी।मैं समझता/समझती हूं कि प्राधिकरण देने के बाद पहली लेनदेन प्रक्रिया शुरू होने में एक माह तक का समय लग सकता है।मैं यह भी समझता/समझती हूं कि मैं आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारित अपने निकट संबंधियों के लिए ही प्रीमियम का भुगतान कर सकता/सकती हूं। मैं/हमने नियम एवं शर्तों को पढ़ लिया है और उनसे सहमत हैं।

स्थान: दिनांक : **पॉलिसीधारक /धारकों का हस्ताक्षर**

खाते धारक का पालिसी धारक (प्रथम पॉलिसी) से रिश्ता **हस्ताक्षर का धारक**

(पॉलिसीधारक से खाता धारक अलग होने के मामले में)

1. हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दिए गए बैंक विवरण हमारे अभिलेखों के अनुसार सही हैं और खाता सक्रिय है।
2. हम इस प्राधिकरण (मैंडेट) की प्राप्ति की पुष्टि करते हैं तथा दिए गए प्राधिकरण के अनुसार ग्राहक के निर्देशों का पालन करने का संज्ञान लेते हैं।

दिनांक बैंक की मुहर और बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर

ईसीएस (ECS) सुविधा के नियम एवं शर्तें

1. नई पॉलिसी (NB Stage) के समय और पूर्ण पॉलिसी (PS Stage) के बाद ECS की अनुमति है।
2. NB स्टेज पर सभी मोड्स की अनुमति है। मासिक (MLY) मोड पर लगने वाला अतिरिक्त 5% प्रीमियम ECS (MLY) में माफ किया जाता है।
3. ECS चुनते समय उस तारीख तक के सभी बकाया प्रीमियम का भुगतान करना अनिवार्य है। बकाया प्रीमियम ECS के माध्यम से नहीं लिया जा सकता।
4. ECS मैंडेट फॉर्म किसी भी LIC शाखा में जमा किया जा सकता है, बशर्ते कम से कम एक पॉलिसी उस शाखा में संचालित हो। LIC ECS सुविधा केवल उन्हीं शहरों में उपलब्ध है जहाँ ECS सक्षम है। अन्य शहरों में प्रीमियम कटौती चयनित बैंकों के माध्यम से डायरेक्ट डेबिट से होगी (बिंदु 20 देखें)।
5. ECS मैंडेट फॉर्म बैंक द्वारा सत्यापित (attested) होना चाहिए और उसकी एक प्रति बैंक में भी जमा करनी होगी। नई पॉलिसी के लिए, पॉलिसी नंबर और प्रीमियम राशि भरने के बाद ही प्रति जमा करें।
6. डेबिट की तारीखें केवल 7, 15 और 28 होंगी (NB और PS दोनों स्टेज पर)। यह पॉलिसी की प्रारंभ तिथि के अनुसार स्वतः निर्धारित होती हैं:
   - 1 से 7 → उसी महीने की 7 तारीख
   - 8 से 15 → उसी महीने की 15 तारीख
   - 16 से 31 → उसी महीने की 28 तारीख
7. वर्तमान में डेबिट तारीख बदलने का विकल्प उपलब्ध नहीं है और पूर्ण ग्रेस पीरियड भी नहीं मिल सकता।
8. ECS मोड की पॉलिसी का प्रीमियम शाखा के काउंटर या अन्य माध्यमों से नहीं भरा जा सकता। केवल बाउंस (dishonour) होने पर या ग्रेस पीरियड के बाद भुगतान संभव है।
9. डेबिट तारीख पर खाते में पर्याप्त बैलेंस रखना आवश्यक है। यदि ECS असफल होता है, तो प्रीमियम शाखा में नकद या डिमांड ड्राफ्ट से, बाउंस चार्ज और विलंब ब्याज सहित जमा करना होगा।
10. बाउंस हुए प्रीमियम के भुगतान के समय उस महीने तक के सभी बकाया प्रीमियम (उस महीने का प्रीमियम सहित) जमा करने होंगे। यदि अगले महीने के 15 दिनों के भीतर कोई प्रीमियम देय है, तो वह भी जमा करना होगा।
11. बैंक द्वारा ECS असफल होने पर LIC जिम्मेदार नहीं होगी। इस संबंध में विवाद बैंक से ही सुलझाना होगा।
12. बैंक विवरण बदलने के लिए संबंधित शाखा में अनुरोध देना होगा। नया मैंडेट फॉर्म बैंक से सत्यापित कराकर जमा करना आवश्यक है।
13. ECS (MLY) मोड में रसीद या नोटिस नहीं भेजे जाएंगे। वार्षिक प्रमाणपत्र अप्रैल में भेजा जाएगा। प्रीमियम प्रमाणपत्र LIC की वेबसाइट से भी प्राप्त किया जा सकता है।
14. अन्य मोड्स में रसीद डाक से पालिसी मास्टर में दिए गए पते पत्ते भेजी जाएगी, जो 15–20 दिनों में मिल सकती है। न मिलने पर शाखा या वेबसाइट से प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकता है।
15. तकनीकी कारणों से कभी-कभी प्रीमियम डेबिट में देरी या पहले कटौती हो सकती है। इसलिए डेबिट तारीख से 7 दिन पहले और बाद तक खाते में पर्याप्त राशि रखें।
16. यदि RBI द्वारा बैंक पर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है या बैंक क्लियरिंग में भाग नहीं लेता, तो ECS डेबिट नहीं होगा। उस अवधि का प्रीमियम पॉलिसीधारक को स्वयं जमा करना होगा।
17. ECS सुविधा बंद करने के लिए अनुरोध डेबिट तारीख से कम से कम 20 दिन पहले (MLY) और 30 दिन पहले (अन्य मोड्स) देना होगा।
18. यदि आपका खाता नंबर 15 अंकों से कम है, तो बैंक के CBS सिस्टम में परिवर्तन हो सकता है। सही और अपडेटेड खाता नंबर बैंक से पुष्टि करके ही दें।
19. शाखा से प्राप्त स्वीकृति पत्र की जांच करें और कोई त्रुटि होने पर तुरंत सूचित कर।
20. वर्तमान में SBI और ICICI बैंक खाताधारकों के लिए पूरे भारत में डायरेक्ट डेबिट सुविधा उपलब्ध है। इन बैंकों में प्रीमियम ECS की बजाय डायरेक्ट डेबिट से कटेगा और ECS की सभी शर्तें लागू होंगी।

(टिप्पणी : यदि किसी शर्तो और निबंधनों और विशेष प्रवधानो / शर्तो के संबंध मे कोई विवाद पैदा होता है तो अंग्रेजी पाठ विधिमान्य होगा |)